भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 704

24 जुलाई, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत कार्यक्षेत्र

704. श्री तापिर गाव:
डॉ. राजेश मिश्राः
श्री कृपानाथ मल्लाहः
श्री विष्णु दयाल रामः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री प्रभुभाई नागरभाई बसावाः
श्रीमती विजयलक्ष्मी देवीः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
श्री राधेश्याम राठियाः
श्री पी. सी. मोहनः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री कौंडा विश्वेश्वर रेडी:
श्री खगेन मुर्मुः
डॉ. लता वानखेड़े
श्री माधवनेनी रघुनंदन रावः
श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभीः
श्री जनार्दन मिश्राः
श्री सतीश कुमार गौतमः
श्री प्रवीण पटेलः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः
सुश्री कंगना रनौतः
डॉ. विनोद कुमार बिंदः
श्री मुकेश राजपूतः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जून, 2025 तक छत्तीसगढ़ सहित देश में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमवाई-यू) के अंतर्गत चार घटक क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) जून, 2025 तक योजना के प्रत्येक खंड के अंतर्गत राजस्थान में राजसमंद लोक सभा क्षेत्र, कर्नाटक में बेंगलूरू शहरी और ग्रामीण जिले, हिमाचल प्रदेश में सीधी लोकसभा क्षेत्र, फूलपुर

लोकसभा क्षेत्र, दिल्ली और मंडी सहित स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके मकानों की संख्या के संबंध में उक्त योजना की राज्यसंघ राज्यक्षेत्र-वार प्रगति क्या है;
(ग) उक्त योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण में देरी, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं और इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) जून, 2025 तक कर्नाटक विशेषकर बेंगलुरू में पीएमएवाई-यू परियोजनाओं के लिए स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई कुल केंद्रीय सहायता कितनी है; और
(ङ) कर्नाटक, विशेषकर बेंगलुरू में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाप्रधान परिवारों जैसे लाभार्थियों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) : आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ सभी मौसम में रहने योग्य घर उपलब्ध कराना है। फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए योजना की अवधि 31.12.2025 तक बढ़ा दी गई है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर आवास बनाने, खरीदने और किराए पर लेने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के बीएलसी, एएचपी और एआरएच घटक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में कार्यान्वित किए जाते हैं। आईएसएस घटक को केंद्रीय नोडल एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत 7.09 लाख आवासों सहित कुल 119.25 लाख आवासों को पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृति दी गई है। जिसमें से 112.81 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और

14.07.2025 तक 93.60 लाख आवास पूरे किए जा चुके हैं/देश भर में लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ सहित जून 2025 तक पीएमएवाई-यू के प्रत्येक घटक के तहत स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक- I में है। इसके अलावा, राजस्थान के राजसमंद लोक सभा क्षेत्र, कर्नाटक के बेंगलुरु शहरी और बेंगलुरु ग्रामीण जिले, मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के मंडी में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके आवासों की जानकारी अनुलग्नक-II में दी गई है। इस योजना की संसदीय क्षेत्र-वार प्रगति पीएमएवाई-यू डैशबोर्ड https://dashboard.pmay-urban.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

पीएमएवाई-यू एक मांग-आधारित योजना है। लाभार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले विभिन्न घटकों के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निरूपण और क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। आवासों/परियोजनाओं के पूरा होने की समय-सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है और योजना के विभिन्न घटकों और संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के अनुसार इसमें आमतौर पर 12-36 महीने लगते हैं। आवासों के पूरा होने की समय-सीमा विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे कि भार-मुक्त भूमि की उपलब्धता, निर्माण शुरू करने के लिए वैधानिक अनुपालन, लाभार्थियों द्वारा निधियों की व्यवस्था आदि।

मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी और स्वीकृत आवासों के निर्माण को निर्धारित समय-सीमा के भीतर शीघ्र पूरा करवाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा करता है। सभी स्वीकृत आवासों के निर्माण को वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना पूरा करने के लिए पीएमएवाई-यू योजना की अवधि 31.12.2025 तक बढ़ा दी गई है।

(**घ**) और (ङ) कर्नाटक राज्य के लिए पीएमएवाई-यू परियोजनाओं हेतु जून 2025 तक स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई कुल केंद्रीय सहायता क्रमशः 9,804 करोड़ रुपये, 7,277 करोड़ रुपये और 7,147 करोड़ रुपये है, जबकि बेंगलुरु के लिए यह क्रमशः 2,693 करोड़ रुपये, 2,336 करोड़ रुपये और 2,164 करोड़ रुपये है। कर्नाटक और बेंगलुरु राज्य में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यकों और महिला प्रधान परिवारों के लिए स्वीकृत कुल आवासों का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

*****

दिनांक **24-07-2025** को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **704** के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक - I

छत्तीसगढ़ सहित पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गतस्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए आवासों का घटक-वार और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्रम संख्या		राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी)			साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) और"स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर)*			किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) और किफायती किराया आवास (एआरएच)			ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) और ब्याज सब्सिडी योजना
			स्वीकृत	निर्माणाधीन	पूर्ण हो चुके	स्वीकृत	निर्माणाधीन	पूर्ण हो चुके	स्वीकृत	निर्माणाधीन	पूर्ण हो चुके	स्वीकृत/ निर्माणाधीन/ पूर्ण हो चुके
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	16,12,109	14,91,489	7,68,311	2,69,667	2,69,667	2,43,145	1,388	-	-	65,521
2		बिहार	4,18,411	2,69,668	1,63,843	6,502	6,502	5,644	-	-	-	20,299
3		छत्तीसगढ	2,23,975	2,09,866	1,87,881	38,397	37,973	31,244	2,222	-	-	37,550
4		गोवा	5	5	4	-	-	-	-	-	-	3,141
5		गुजरात	1,70,510	1,49,212	1,40,314	1,79,580	1,79,204	1,56,761	5,002	4,549	2,602	6,43,787
6		हरियाणा	82,905	43,610	23,755	2,452	2,085	1,818	2,545	2,545	-	44,933
7		हिमाचल प्रदेश	10,054	10,054	8,779	64	64	64	205	205	-	2,522
8		झारखंड	1,92,574	1,77,231	1,37,172	35,687	18,240	7,321	-	-	-	15,160
9		कर्नाटक	1,80,798	1,65,333	1,41,881	2,96,359	2,36,260	1,45,100	-	-	-	1,06,929
10		केरल	1,27,153	1,20,359	1,00,156	2,153	2,121	1,314	-	-	-	32,651
11		मध्य प्रदेश	7,34,952	7,14,428	6,48,625	57,800	57,600	42,697	268	268	-	1,73,381
12		महाराष्ट्र	2,57,191	2,08,556	1,42,090	3,66,806	3,15,324	2,26,009	-	-	-	6,25,050
13		ओडिशा	1,84,366	1,58,814	1,39,848	18,217	14,349	12,269	-	-	-	12,756
14		पंजाब	82,871	69,243	48,664	1,595	426	426	-	-	-	48,804
15		पंजाब	1,43,565	1,06,008	60,654	41,888	40,193	25,303	2,928	2,928	480	1,48,362
16		राजस्थान	4,04,058	4,03,130	3,68,817	1,46,253	1,46,253	1,17,685	61,411	55,326	36,450	1,20,114
17		तेलंगाना	1,13,681	-	-	1,59,628	1,46,577	1,35,181	14,490	-	-	88,446
18		उत्तर प्रदेश	17,48,159	15,35,927	14,89,940	71,420	68,347	56,509	1,112	-	-	1,55,456
19		उत्तराखंड	25,190	24,389	15,132	18,496	18,480	7,466	170	170	170	19,919
20		पश्चिम बंगाल	5,25,499	5,17,892	3,78,838	3,984	2,348	1,084	-	-	-	85,622
उप कुल (राज्य)			72,38,026	63,75,214	49,64,704	17,16,948	15,62,013	12,17,040	91,741	65,991	39,702	24,50,403
21	उत्तर पूर्वी राज्य	अरूणाचल प्रदेश	11,770	7,130	6,459	1,536	1,536	1,536	-	-	-	73
22		असम	1,81,128	1,65,235	1,25,857	64	64	-	2,222	-	-	3,799
23		मणिपुर	52,286	49,329	18,099	-	-	-	-	-	-	233
24		मेघालय	4,554	3,877	1,780	-	-	-	-	-	-	204
25		मिजोरम	36,789	36,740	24,024	142	142	142	-	-	-	2,219
26		नागालैंड	29,973	29,966	28,226	1,054	1,054	702	-	-	-	40

27		सिक्किम	110	110	30	-	-	-	-	-	-	189
28		त्रिपुरा	84,136	81,544	73,194	4,005	4,005	1,929	-	-	-	2,848
उप कुल (उत्तर पूर्वी राज्य			4,00,746	3,73,931	2,77,669	6,801	6,801	4,309	2,222	-	-	9,605
29	संघ राज्य क्षेत्र	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	23	23	23	329	329	33	-	-	-	24
30		चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	2,195	2,195	2,195	1,256
31		दादरा और नगर हवेली एवं दमण और दीव	1,098	1,098	601	1,531	1,531	1,531	-	-	-	7,318
32		दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,976
33		जम्मू और कश्मीर	39,152	38,727	28,530	1,272	-	-	336	336	336	3,432
34		लद्दाख	860	860	766	369	77	62	-	-	-	54
35		पुदुचेरी	14,290	13,779	9,203	-	-	-	-	-	-	2,152
उप कुल (संघ राज्य क्षेत्र)			55,423	54,487	39,123	3,501	1,937	1,626	2,531	2,531	2,531	44,212
कुल			76,94,195	68,03,632	52,81,496	17,27,250	15,70,751	12,22,975	96,494	68,522	42,233	25,04,220

* इसके अतिरिक्त, जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत स्लमवासियों के लिए 4.01 लाख आवासों की नींव रखी गई थी तथा मिशन अवधि के दौरान 3.41 लाख आवास पूरे किए गए।

दिनांक 24-07-2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 704 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक - II

पीएमएवाई-यू के तहत राजस्थान के राजसमंद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक के बेंगलुरु शहरी और बेंगलुरु ग्रामीण जिले, मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए आवासों का विवरण

क्रमांक संख्या	राज्य	विवरण	**स्वीकृत आवासों (संख्या)**	**निर्माणाधीन आवास (संख्या)**	**पूर्ण/सौंपे गए आवास (संख्या)**
1	राजस्थान	राजसमंद लोकसभा क्षेत्र	6,202	5,477	4,270
2	कर्नाटक	बेंगलुरु शहरी जिला	1,42,502	1,30,048	94,139
3		बेंगलुरु ग्रामीण जिला	6,879	6,085	5,549
4	मध्य प्रदेश	सीधी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र	17,034	15,439	12,692
5	उत्तर प्रदेश	फूलपुर लोकसभा क्षेत्र	26,914	24,653	23,317
6	दिल्ली	दिल्ली	29,976	29,976	29,976
7	हिमाचल प्रदेश	मंडी जिला	1,324	1,324	1,067

दिनांक 24-07-2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 704 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक - III

कर्नाटक और बेंगलुरु राज्य में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यकों और महिला-प्रधान परिवारों के लिए स्वीकृत कुल आवास

क्र. सं.	**विवरण**	**कर्नाटक**	**शहरी और ग्रामीण जिलों सहित बेंगलुरु**
1	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)	4,86,501	1,01,422
2	निम्न आय समूह (एलआईजीLIG)	40,105	9,236
3	अनुसूचित जाति (एससी)	1,00,585	12,481
4	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	26,357	1,279
5	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	1,03,886	18,690
6	अल्पसंख्यकों के लिए कुल आवास	1,30,048	11,391
7	महिलाओं के लिए कुल आवास	3,15,142	39,379